

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में व्याख्याता गणित के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	सुभाष चन्द्र बोला, गोविन्दपुरा (खण्डेला) सीकर	गणित	आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक: एफ1(23-22)RPSC /App/HRD/2017 / 4180 दिनांक: 15.05.18

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 29.06.18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2012
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
5. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर